संख्या-930/53-2-2024

प्रेषक,

के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,उ०प्र०/
मिशन निदेशक,
नन्द बाबा दुग्ध मिशन,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 23 अक्टूबर, 2024

विषय- 'नन्द बाबा दुग्ध मिशन' के अन्तर्गत "नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना" के दिशा-निर्देश में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया दुग्ध आयुक्त/मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-118/एस०पी०एम०यू०/न०कृ०स०यो०(32)/2024-25, दिनांक 08 अक्टूबर 2024 एवं पत्रांक-236/एस०पी०एम०यू०/न०कृ०स०यो०(32)/2024-25, दिनांक 17 अक्टूबर 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दुग्ध विकास अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-813/53-2-2023, दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा "नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना" के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के प्रस्तर-4 एवं प्रस्तर-9 में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत योजना के स्वरूप का विस्तार किये जाने, कैटिल शेड/आधारभूत संरचना के डिजाइन को मानकीकृत किये जाने, योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन का विज्ञापन प्रदेश स्तर से किये जाने एवं सत्यापन समिति की अनुशंसा पर डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी की संस्तुति प्राप्त किये जाने से

सम्बन्धित प्राविधानों को समाहित किये जाने के उद्देश्य से "नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना" के दिशा-निर्देश में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

प्रस्तर	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
4.	योजना का स्वरूपः- (i) प्रथम चरण(2023-24) में प्रदेश के दस मण्डल मुख्यालयों के जनपदों अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा एवं बरेली में संचालित की जायेगी। (ii) प्रथम चरण में प्रदेश में 25 दुधारू गायों की 35 इकाईयां स्थापित की जायेंगी। --- ---	योजना का स्वरूपः- (i) प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह योजना प्रदेश के 10 मण्डल मुख्यालय जनपदों अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा एवं बरेली में लागू की गयी है। द्वितीय चरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह योजना शेष 08 मण्डल मुख्यालय जनपदों गोंडा, बस्ती, आजमगढ़, मिर्जापुर, बाँदा, अलीगढ़, सहारनपुर एवं मुरादाबाद में लागू की जायेगी। (ii) प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10 मण्डल मुख्यालय जनपदों में 50 इकाईयाँ स्थापित करने का लक्ष्य है। द्वितीय चरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 में शेष 08 मण्डल मुख्यालय जनपदों में 40 इकाईयाँ स्थापित की जायेगी। (vii) कैटिल शेड/आधारभूत संरचना का निमार्ण मानकीकृत डिजाइन(संलग्नक-3) के अनुरूप किया जायेगा, जिसमें कैटिल शेड के छत के निर्माण में पफ पैनल(Puf Panel) का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। इस पर आने वाला अतिरिक्त व्ययभार लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। (viii) प्रदेश स्तर से विज्ञापन प्रकाशित कराकर एक माह का समय देते हुए सम्बन्धित जनपदों में आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।

9.	सत्यापन एवं अनुश्रवणः (ii) सत्यापन समिति की अनुशंसा पर जनपद स्तरीय समिति(मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, लीड बैंक ऑफिसर एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी) द्वारा स्थापित इकाईयों हेतु अनुदान राशि की मांग मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन को प्रस्तुत की जायेगी।	सत्यापन एवं अनुश्रवणः (ii) सत्यापन समिति की अनुशंसा पर डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी की संस्तुति प्राप्त की जायेगी, तदनुसार जनपद स्तरीय समिति(मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, लीड बैंक ऑफिसर एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी) द्वारा स्थापित इकाईयों हेतु अनुदान राशि की मांग मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन को प्रस्तुत की जायेगी।

विषयगत शासनादेश के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

Signed by "RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 22-10-2024 21:17:14

भवदीय,
(के० रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या-930(1)/53-2-2024, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
(2) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, पशुधन, वित्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
(4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास/नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उत्तर प्रदेश।
(7) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।